

प्रधान-कार्यालय, एन-3, अवन्ति विहार, तेलीबांघा रायपुर

72

क्रमांक/छगवेका/स्था0/2016-17/

4549

रायपुर, दिनांक:-

11-04-16

आदेश :-

संचालक मंडल की 35 वीं बैठक दिनांक 28 मार्च 2016 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्रमांक 35.14 में पारित निर्णयानुसार- निगम के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन (मोटर कार/मोटर साइकिल) कय हेतु अग्रिम दिये जाने बाबत निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है:-

क्र०	पात्र अधिकारी/ कर्मचारी का पद नाम	वाहन पात्रता एवं अग्रिम की राशि	वसूली कितनी किश्तों में की जायेगी
1	सचिव एवं महाप्रबंधक/प्रबंधक (वैज्ञानिक भण्डारण एवं गुणवत्ता नियंत्रण)/प्रबंधक (कार्मिक, वाणिज्य, लेखा)/कार्यपालन अभियंता, उप - प्रबंधक (सामान्य, तकनीकी, लेखा, ऑडिट)/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर/वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/सहायक अभियंता/निज सचिव / सहायक प्रबंधक (सामान्य तकनीकी, लेखा, ऑडिट) एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उपरोक्त श्रेणी के अधिकारी (प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर अग्रिम की शेष राशि जमा करना अनिवार्य होगा)	<u>"मोटर कार"</u> अधिकतम-4,00,000 (अक्षरी चार लाख मात्र) या वास्तविक कीमत जो भी कम हो।	100 (समान किश्त)
2	उप-अभियंता/निज सहायक/तकनीकी सहायक/लेखापाल/सहायक/कनिष्ठ सहायक/वाहन चालक/चपरासी/ चौकीदार कम हेल्पर	<u>"मोटर साइकिल"</u> अधिकतम-60,000 (अक्षरी साठ हजार मात्र) या वास्तविक कीमत जो भी कम हो।	100 (समान किश्त)

उक्त अग्रिम निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जावेगी :-

- वे सभी नियमित अधिकारी/कर्मचारी पात्र होंगे जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।
- अधिकारी/कर्मचारी को वाहन कय हेतु आवेदन के साथ कोटेशन तथा चेतन का विवरण (पे-स्लिप) अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
- वाहन अग्रिम की स्वीकृत राशि का धनादेश संबंधित अधिकृत विक्रेता के नाम से जारी की जायेगी।

(हस्ताक्षर)

कल

//2//

4. संचालक मंडल की 35 वीं बैठक दिनांक 28 मार्च 2016 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्रमांक 35.14 में पारित निर्णयानुसार— वाहन अग्रिम पर 6.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा एवं अग्रिम मय ब्याज के अधिकतम 100 समाप्त किश्तों में वसूला जायेगा।
 5. वाहन अग्रिम प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों से अग्रिम की किश्त शामिल कर 1/3 से कम वेतन प्राप्त न हो।
 6. निगम में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर वाहन अग्रिम की शेष राशि एकमुश्त जमा करनी होगी।
 7. वाहन अग्रिम की आहरण की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात् ही पुनः वाहन अग्रिम की पात्रता होगी बशर्ते पूर्व में दिया गया अग्रिम मय ब्याज के पूर्ण रूप से कटौती/जमा की जा चुकी हो।
- यह आदेश दिनांक 06.04.2016 से प्रभावशील माना जायेगा।



प्रबंध संचालक

रायपुर, दिनांक:- 11-04-16

क्रमांक/छगवेका/स्था0/2016-17/ 4549
प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम, मुख्यालय-रायपुर।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम, मुख्यालय-रायपुर।
3. प्रबंधक (कार्मिक/तकनीकी/वाणिज्य/लेखा/कॉर्पोरेट) छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम, मुख्यालय-रायपुर।
4. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम, मुख्यालय-रायपुर।
5. समस्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम, मुख्यालय-रायपुर।
6. सहायक प्रबंधक(लेखा)/वेतन शाखा/भविष्य निधि शाखा, मुख्यालय-रायपुर।
7. समस्त सहायक अभियंता/उप-अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (छत्तीसगढ़)।
8. समस्त शाखा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (छत्तीसगढ़) उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार आदेश से अवगत करावें।
9. प्रोग्रामर छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित है कि इस आदेश को तत्काल निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. मास्टर नस्ती।



प्रबंध संचालक

(72)

FORM OF AGREEMENT TO BE EXECUTED BEFORE DRAWING AT
ADVANCE FOR THE PURCHASE OF MOTOR CAR/MOTOR CYCLE/
SCOOTER/AUTO VEHICLE

An agreement made on.....day of..... he
thousand.....between.

.....(herein after called the borrower, which expression
shall, where the context so admits, include his heirs, administrators, executors and legal
representatives) of the one part and the C.G. State Warehousing Corporation (herein
after called the "Corporation" which expression shall where the context so admits) of
the other part.

Where as the borrower has (Under the provision of the decision taken by the
executive committee of the Corporation vide their meeting date 28.02.2005 and rules
framed for the grant of vehicle advance by the executive committee of the rules for
the time being in force) applied to Corporation for a loan of
Rs.....(Rupees.....) for purchase of a vehicle (State
Model).

And whereas the Corporation has agreed to lend the said amount to the
borrower on the terms and conditions hereinafter contained.

Now therefor it is hereby agreed between the parties here to as follows.

1. In consideration of the sum Rs.....(Rupees.....
only) to be paid by the Corporation to the borrower, the borrower pay to the
Corporation the said amount with interest by monthly deductions form his salary and
hereby authorizes the Managing Director, of the Corporation to make such
deductions.
2. The Borrower shall within one month from the date of payment of the said
sum, spend the full amount of the said loan in the purchase of a vehicle or if the actual
price paid is less than the repay the difference to the Corporation.
3. The Borrower shall execute a deed of mortgage in the form prescribed by the
above rules, hypothecating the said vehicle to the Corporation as security for the due

APPLICATION FOR ADVANCE- FOR PURCHASE OF THE MOTOR CAR/
MOTOR CYCLE/SCOOTER/AUTO CYCLE

1. Name of Applicant :-----
2. Designation :-----
3. Place of Posting :-----
4. Anticipated price of
vehicle(Quotation enclosed) :-----
5. Amount of Advance
required :-----
6. No. of installments to
which the advance is
design to be repaid :-----
7. Total salary of applicant : (a) Gross Salary,-----
(last month pay bill : (b) Deduction,-----
extract is enclosed) : (c) Net Salary,-----
8. Date of Joining :-----

I certify that the information given above is complete and true.
Borrower I certify that I have not taken delivery of the vehicle on account
of which I apply for the advance. that I shall complete negotiations for the
purchase of pay finally and take possession of the vehicle, before the
expiry of one month form the date of drawl of the advance and that I
shall in it from the date of taking delivery of it.

Branch:-----

date :-----

(name & Signature of Applicant)

SECURITY BOND

I,.....
 Designation....., Posted at.....
 of C.G. State Warehousing Corporation.
 Pay Rs.....surety on behalf of the said
 Shri.....and hereby agree
 that In the event of the said Shri.....failing
 to repay the vehicle Advance of Rs.....
 (Rupees.....)
 only as herein before provided, I shall pay the same and bind
 my heirs, executors, administrators, representatives and assigns
 for such payment.

Signed this on.....
 in the presence of Shri.....and
 Shri.....

S.N.	Name of witness	Designation	signature
1.
2.

(Signature and designation of surety)

repayment of the amount (With interest) advanced by the Corporation to the Borrower as aforesaid together with interest accrued thereon.

4. In case the vehicle is not Purchased and Hypothecated as aforesaid within on month from the date of the payment of the said sum or if the Borrower, within that period, becomes insolvent or quits the service of the Corporation or dies, the whole amount of the loan together with interest accrued thereon shall immediately become due and payable.

Witnesses:

(Signature & Designation)

1.

.....

2.

.....

.....
Signature and Designation of the Borrower

.....
Signature and Designation of the Officer

For and on behalf of Corporation

Witnesses:

(Signature & Designation)

1.

.....

2.

.....